

डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड

बनाम

एकता सेठ एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 4380/2008)

15 जुलाई, 2008

[एस. बी. सिन्हा और डॉ. मुकुंदकम शर्मा, जे. जे.]

एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969; एस. 12- बी:

अनुचित व्यापार व्यवहार- क्षतिपूर्ति- अपार्टमेंट क्रेता अनुबन्ध- खरीददार द्वारा किश्त के भुगतान में चूक- आवंटन रद्द करना और अग्रिम राशि जब्त करना- अनुचित व्यापार व्यवहार के आधार पर मुआवजे का दावा करने वाला आवेदन- एम.और.टी.पी. आयोग ने अग्रिम राशि को ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया- शुद्धता, निर्णित: अनुबन्ध के पक्षकार उसके नियमों और शर्तों द्वारा शासित होते हैं- अनुबन्ध के खंड 4 के अनुसार, विक्रेता स्वयं के पास लागत बढ़ाने की अप्रतिबंधित शक्ति- आवंटनकर्ता ने निश्चित अवधि के बाद किश्तों का भुगतान करना बंद कर दिया क्योंकि फ्लैट की लागत में वृद्धि उसकी पहुंच से बाहर था- प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों व परिस्थितियों में, विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विक्रेता को उसके द्वारा जब्त की गई अग्रिम राशि का 50 प्रतिशत खरीदार/आबंटित व्यक्ति को वापस करने का निर्देश दिया गया- भारतीय संविदा अधिनियम, 1872- अनुबंध लागू किया।

प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के साथ अपार्टमेंट क्रेता अनुबन्ध करके एक फ्लैट बुक किया। फ्लैट की बिक्री कीमत किश्तों में देय थी। उत्तरदाता ने कुछ किश्तों का भुगतान

करने के बाद आगे का भुगतान बंद कर दिया। अपीलार्थी अनुबन्ध की शर्तों के तहत लागत में वृद्धि के बाबत और राशि की मांग की, जो प्रत्यर्थी द्वारा अदा नहीं की गई। इसलिए, अपीलार्थी ने फ्लैट का आवंटन रद्द कर दिया, अग्रिम राशि जब्त कर ली और बकाया राशि वापस कर दी। पीड़ित ने M.R.T.P. आयोग के समक्ष अनुचित व्यापार व्यवहार के आधार पर मुआवजे का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया। आयोग ने अपीलार्थी को निर्देश दिए कि ब्याज की निश्चित दर के साथ अग्रिम राशि वापस करेगा। इसलिए वर्तमान अपील पेश की गई।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि अग्रिम राशि को जब्त करने की उसकी कार्यवाही वैध और न्यायोचित थी।

प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि बुकिंग करवाने की दिनांक अर्थात् वर्ष 1993 से तीन वर्ष के भीतर कब्जा देने का प्रस्ताव था, लेकिन उक्त कब्जा वर्ष 1998 तक भी नहीं दिया गया, इसलिए, अपीलकर्ता अग्रिम राशि को जब्त करने की शक्ति का सहारा नहीं ले सकता था; लागत वृद्धि, क्षेत्र में वृद्धि, बाहरी विद्युतीकरण, अग्निशमन प्रणाली और स्टैंडबाय जेनरेटर के लिए राशि रुपये 4,21,474.06/- की मांग अत्यधिक थी और अपीलकर्ता की ओर से छह महीने की इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी राशि की मांग करना अनुचित है।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

1.1 अनुबंध के पक्षकार, किए गए अनुबन्ध के नियमों और शर्तों से शासित और बाध्य हैं। हालांकि मौजूदा मामले में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपार्टमेंट क्रेता अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करते समय उत्तरदाताओं को इस तथ्य की अच्छी तरह से जानकारी थी कि खंड 4 में उल्लेखित कारकों के कारण अतिरिक्त राशि की मांग की जा सकती है, लेकिन अधिकतम वृद्धि क्या होगी, यह अनुबंध में

निर्धारित नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुबन्ध के खंड 4 में "इस संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम और अपार्टमेंट आवंटी के लिए बाध्यकारी होगा" शब्द डालकर कंपनी ने लागत बढ़ाने के लिए खुद को अप्रतिबंधित शक्ति प्रदान की है। (पैरा 10) [1006-जी, डी और ई]

1.2 अनुबन्ध के खंड 16 के अनुसार यह प्रस्तावित था कि कब्जा बुकिंग की तारीख से तीन साल के भीतर यानी 16 जून, 1996 तक दिया जा सकता है, लेकिन सितंबर 1998 तक भी ऐसा नहीं किया गया और यह 22 फरवरी, 1999 के पत्र से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को कब्जा सौंपने में सक्षम बनाने के लिए अभी भी कुछ समय है और अतिरिक्त काम करना बाकी है। खण्ड 18 के अनुसार एकमात्र विकल्प यह दिया गया था कि यदि कब्जा देने में देरी होती है तो आवंटी अपीलकर्ता के पास जमा की गई पूरी राशि बिना किसी ब्याज के वापस पाने का हकदार होगा। दूसरे शब्दों में, अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कब्जा सौंपने में देरी के कारण अपीलकर्ता पर कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। (पैरा- 11) [1006- एफ, जी एंड एच]

2.1 किशतों का भुगतान कम से कम पांच वर्षों तक विधिवत किया गया था और उसके बाद भुगतान इस आधार पर रोक दिया गया था कि फ्लैट की लागत में वृद्धि प्रत्यर्थी के साधनों से परे थी और यह तथ्य भी था कि अपीलकर्ता समय पर फ्लैट का कब्जा देने में विफल रहा। दूसरी ओर, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, निर्धारित समय के भीतर उक्त कब्जा सौंपने में असमर्थता के लिए अपीलकर्ता के पास सद्भाविक कारण थे और लागत में वृद्धि विशेष रूप से खंड 2 (बी) और खंड 4 में गिनाए गए कारकों के कारण थी। (पैरा- 12) [1007- ए और बी]

2.2 प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि न्याय के उद्देश्य पूर्ण होंगे यदि हम भारत के संविधान के

अनुच्छेद 142 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देते हैं कि जब्त की गई राशि का 50 प्रतिशत अपीलकर्ता द्वारा इस फैसले की तारीख से तीन महीने के भीतर प्रत्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार जब्त मानी जाएगी। हालाँकि, यदि अपीलकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उस पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा, जिसकी गणना उपर्युक्त अवधि समाप्त होने की तारीख से भुगतान की तारीख तक की जाएगी। (पैरा- 13) [1007- सी, डी एंड ई]

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में पारित किया गया है और इसे किसी अन्य मामले में पूर्वता के रूप में नहीं माना जाएगा। (पैरा- 14) [1007- ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 4380/2008

एकाधिकार व प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग, नई दिल्ली के क्षतिपूर्ति आवेदन संख्या 53/2002 में अंतिम आदेश दिनांकित 03/07/2006 से।

रविंदर नारायण, मेघाली बर्थाकुर, अखिल पी. छाबड़ा, सुब्रत देब और राजन नारायण, अपीलार्थी की और से।

अमर दवे, ई.सी. अग्रवाल, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, अमित कुमार शर्मा, आशुतोष गर्ग, नेहा अग्रवाल और गौरव गोयल, प्रत्यर्थियों की और से।

निर्णय

डॉ. मुकुंदकम शर्मा, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील अपीलकर्ता द्वारा एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग, नई दिल्ली (संक्षेप में "आयोग") द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 3 जुलाई, 2006 की वैधता को चुनौती देते हुए दायर की गई है। उपरोक्त निर्णय और आदेश के द्वारा विद्वान आयोग ने कुछ टिप्पणियाँ कीं और अपीलकर्ता के खिलाफ निष्कर्ष दर्ज किए, जो इस अपील में चुनौती के अधीन हैं। आयोग ने निर्णित किया कि अपीलकर्ता की कीमत बढ़ाने की कार्रवाई जिसने प्रत्यर्थी को और भुगतान करने के लिए बाध्य किया, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता द्वारा विवादित रद्दकरण हुआ जो कि अनुचित व्यापार व्यवहार था और अपीलकर्ता को अग्रिम राशि जब्त करने का कोई अधिकार नहीं था। नतीजतन, एक निर्देश जारी किया गया कि पत्र दिनांकित 26/27 मई, 1999 के संबंध में अपीलकर्ता को मुख्य फ्लैट के साथ- साथ पार्किंग स्थान के संबंध में अग्रिम राशि रोकने की तारीख से पुनर्भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ अग्रिम राशि वापस करनी चाहिए।

3. हम आयोग के उपरोक्त निर्देश की ओर ले जाने वाले तथ्यों को संक्षेप में बता सकते हैं। प्रत्यर्थी ने 17 जून, 1993 को अपार्टमेंट क्रेता अनुबन्ध के जरिये अपीलकर्ता के डीएलएफ रीजेंसी पार्क, गुडगांव में पार्किंग स्थल सहित एक फ्लैट बुक किया। दोनों पक्षों द्वारा निर्धारित बिक्री मूल्य 16,37,448/- रुपये था, जो 9 मार्च से शुरू होकर 9 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाली दस वर्षों की अवधि में 42 किश्तों में देय था। स्वीकृत रूप से प्रत्यर्थी ने सितंबर 1998 तक देय सभी किश्तों का भुगतान कर दिया, जिसकी कुल राशि 9,94,836/- रुपये थी। लेकिन उसके बाद उसने किस्त का कोई भुगतान नहीं किया और इसलिए अपीलकर्ता द्वारा उसे डिफॉल्टर माना गया। इस बीच में पत्र दिनांक 19 फरवरी, 1998 द्वारा अपीलकर्ता ने वृद्धि, क्षेत्र में वृद्धि, बाह्य विद्युतीकरण, अग्निशमन प्रणाली और स्टैंड- बाय जनरेटर की लागत के रूप में प्रत्यर्थी से 4,21,474.06 रु. अतिरिक्त राशि की मांग की। उक्त राशि का भुगतान 15

मार्च 1998 से शुरू होकर 1,05,368.52/- रुपये की चार समान द्विमासिक किस्तों में किया जाना था। प्रत्यर्थी ने उक्त मांग को पूरा नहीं किया। नतीजतन, अपीलकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 26 मई, 1999 के जरिए फ्लैट का आवंटन रद्द कर दिया और अग्रिम राशि जब्त कर ली और बकाया राशि वापस कर दी।

4. प्रत्यर्थी ने 23 मई, 2001 को अपीलकर्ता को एक कानूनी नोटिस भेजा जिसमें कहा गया कि फ्लैट का आवंटन रद्द करना अवैध और मनमाना था। अपीलकर्ता ने 25 जून, 2001 को कानूनी नोटिस का जवाब भेजा जिसमें कहा गया कि की गई कटौती वैध थी और अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार थी।

5. प्रत्यर्थी, हालांकि, अपीलकर्ता द्वारा भेजे गए उत्तर से संतुष्ट नहीं था और उसने अनुचित व्यापार व्यवहार के आधार पर मुआवजे के भुगतान के लिए आयोग के समक्ष एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 12-बी के तहत एक आवेदन दायर किया। अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थी ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता अग्रिम राशि जब्त करने का हकदार नहीं है क्योंकि वे स्वयं निर्धारित समय के भीतर फ्लैट की डिलीवरी देने में असमर्थ थे और विशेष रूप से, जब अपीलकर्ता ने उक्त फ्लैट को अच्छी कीमत पर दोबारा बेच दिया था, इसलिए, अपीलकर्ता को कोई नुकसान नहीं हुआ, वे अग्रिम राशि जब्त करने के हकदार नहीं थे और न ही कर सकते थे। प्रत्यर्थी की उपरोक्त दलील को आयोग का समर्थन मिला और उसने उपरोक्त निष्कर्ष को दर्ज किया और प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप विवादित निर्देश जारी किए गए जो इस अपील में चुनौती के अधीन हैं।

6. इसलिए, जो विवाद्यक हमारे सामने उठाया गया और निवेदन किया गया, वह स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता की 1,80,470/- रुपये की अग्रिम राशि को जब्त करने की

शक्ति और अधिकार क्षेत्र के संबंध में है। हालाँकि, रिकॉर्ड से दृष्टिगत होता है कि 1,80,470/- रुपये में से 1,69,012/- रुपये की राशि अग्रिम राशि के रूप में जब्त कर ली गई थी, जिसमें से प्रत्यर्थी को आवंटित फ्लैट के लिए राशि रु. 1,62,412/- व पार्किंग के लिए राशि रु. 6600/- थी। विलंबित भुगतान पर ब्याज के बाबत अपीलकर्ता द्वारा शेष राशि अर्थात् रु. 9,571/- जब्त कर ली गई।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से हमारे सामने एक विशिष्ट तर्क उठाया गया कि अपीलकर्ता आपसी सहमति से पार्टियों के बीच हुए अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अग्रिम राशि जब्त करने का हकदार था। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान उक्त अनुबन्ध के विभिन्न खंडों की ओर आकर्षित किया है जो अपीलकर्ता को उपरोक्त अग्रिम राशि काटने का अधिकार देता है। इस संबंध में, उक्त अनुबन्ध के खंड 8 और 9 में निहित प्रावधानों का संदर्भ दिया गया था जो इस प्रकार हैं:

“8. कंपनी और अपार्टमेंट आवंटी इस बात पर सहमत हैं कि पंजीकरण पर उक्त परिसर के बिक्री मूल्य के 10% की सीमा तक और आवंटन पर या किशतों में भुगतान की गई राशि, जैसा भी मामला हो, सामूहिक रूप से अग्रिम राशि होगी। अपार्टमेंट आवंटी द्वारा आवंटन के लिए आवेदन के नियमों और शर्तों, बिक्री और इस अनुबन्ध के नियमों और शर्तों को पूरा न करने के साथ ही विहित समय के भीतर अपार्टमेंट आवंटी द्वारा इस अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने में विफलता की स्थिति में अग्रिम राशि को जब्त किया जा सकता है।

9. किशतों के भुगतान का समय, जैसा कि भुगतान की अनुसूची (अनुलग्नक-II) में बताया गया है, इस अनुबन्ध का सार है। भुगतान की शर्तों और बिक्री के अन्य नियमों और शर्तों का पालन करना अपार्टमेंट आवंटी का दायित्व होगा, ऐसा न करने

पर वह कंपनी को पूरी अग्रिम राशि जब्त करवा देगा और विक्रय अनुबन्ध रद्द कर दिया जाएगा और अपार्टमेंट आवंटी का उक्त परिसर पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार, स्वामित्व, हित या दावा नहीं होगा। इसके बाद कंपनी अपने विवेक पर किसी भी तरीके से उक्त परिसर को दोबारा बेचने और उससे निपटने के लिए स्वतंत्र होगी। हालाँकि, अग्रिम राशि से अधिक भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, कंपनी द्वारा अपार्टमेंट आवंटी को बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जावेगी।"

उक्त प्रावधान पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि अग्रिम राशि जब्त करने की अपीलकर्ता की कार्रवाई कानूनी और उचित थी।

8. प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने उपरोक्त तर्कों का खण्डन किया तथा साथ ही तर्क दिया कि 6 जून, 1996 अर्थात् बुकिंग करवाने की दिनांक से तीन वर्ष के भीतर कब्जा देने का प्रस्ताव था, लेकिन उक्त कब्जा वर्ष 1998 तक भी नहीं दिया गया, इसलिए, अपीलकर्ता अग्रिम राशि को जब्त करने की शक्ति का सहारा नहीं ले सकता था और न ही लेना चाहिए था। प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि लागत वृद्धि, क्षेत्र में वृद्धि, बाहरी विद्युतीकरण, अग्निशमन प्रणाली और स्टैंडबाय जेनरेटर के लिए राशि रुपये 4,21,474.06/- की मांग अत्यधिक थी। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता की ओर से छह महीने की इतनी कम अवधि में इतनी बड़ी राशि की मांग करना अनुचित है।

9. प्रत्यर्थी का उपरोक्त निवेदन आयोग के समक्ष भी रखा गया था और उसे आयोग का समर्थन मिला। विद्वान आयोग ने पाया कि वृद्धि का बड़ा हिस्सा अतिरिक्त सुविधाएं बनाने और फ्लैटों को अपग्रेड करने के लिए लगाया गया, इस प्रकार आवंटियों पर अतिरिक्त और अप्रत्याशित बोझ डाला गया और उसे भी कम समय में



पूरा किया जाना है। आयोग ने आगे कहा कि अनुबंध एकतरफा था और प्रत्यर्थी के लिए खाली लाइनों पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था। उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचते समय आयोग ने अपने पहले के 2 मई, 2006 के "ग्राहक सहायक गुर्गन स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ और अन्य बनाम डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड और अन्य" में दिए गए आदेश पर भरोसा किया, जिसमें उसी परिसर के संबंध में, जिसके लिए प्रत्यर्थी ने आबंटन हेतु आवेदन भरा था, अपीलार्थी द्वारा की गई वृद्धि को अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया है।

10. अनुबंध के पक्षकार, किए गए अनुबन्ध के नियमों और शर्तों से शासित और बाध्य हैं। हालांकि मौजूदा मामले में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अपार्टमेंट क्रेता अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करते समय उत्तरदाताओं को इस तथ्य की अच्छी तरह से जानकारी थी कि खंड 4 में उल्लेखित कारकों के कारण अतिरिक्त राशि की मांग की जा सकती है, लेकिन अधिकतम वृद्धि क्या होगी, यह अनुबंध में निर्धारित नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुबन्ध के खंड 4 में "इस संबंध में कंपनी का निर्णय अंतिम और अपार्टमेंट आवंटी के लिए बाध्यकारी होगा" शब्द डालकर कंपनी ने लागत बढ़ाने के लिए खुद को अप्रतिबंधित शक्ति प्रदान की है।

11. दूसरे पहलू की बात करें तो अनुबन्ध के खंड 16 के अनुसार यह प्रस्तावित था कि कब्जा बुकिंग की तारीख से तीन साल के भीतर यानी 16 जून, 1996 तक दिया जा सकता है, लेकिन सितंबर 1998 तक भी ऐसा नहीं किया गया और यह 22 फरवरी, 1999 के पत्र से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को कब्जा सौंपने में सक्षम बनाने के लिए अभी भी कुछ समय है और अतिरिक्त काम करना बाकी है। खण्ड 18 के अनुसार एकमात्र विकल्प यह दिया गया था कि यदि कब्जा देने में देरी होती है तो आवंटी अपीलकर्ता के पास जमा की गई पूरी राशि बिना किसी ब्याज के वापस पाने का हकदार

होगा। दूसरे शब्दों में, अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कब्जा सौंपने में देरी के कारण अपीलकर्ता पर कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा।

12. वर्तमान मामले में हम पाते हैं कि किशतों का भुगतान कम से कम पांच वर्षों तक विधिवत किया गया था और उसके बाद भुगतान इस आधार पर रोक दिया गया था कि फ्लैट की लागत में वृद्धि प्रत्यर्थी के साधनों से परे थी और यह तथ्य भी था कि अपीलकर्ता समय पर फ्लैट का कब्जा देने में विफल रहा। दूसरी ओर, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, निर्धारित समय के भीतर उक्त कब्जा सौंपने में असमर्थता के लिए अपीलकर्ता के पास सद्भाविक कारण थे और लागत में वृद्धि विशेष रूप से खंड 2 (बी) और खंड 4 में गिनाए गए कारकों के कारण थी।

13. प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि न्याय के उद्देश्य पूर्ण होंगे यदि हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देते हैं कि जब्त की गई राशि का 50 प्रतिशत अपीलकर्ता द्वारा इस फैसले की तारीख से तीन महीने के भीतर प्रत्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार जब्त मानी जाएगी। हालाँकि, यदि अपीलकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उस पर 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा, जिसकी गणना उपर्युक्त अवधि समाप्त होने की तारीख से भुगतान की तारीख तक की जाएगी।

14. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में पारित किया गया है और इसे किसी अन्य मामले में पूर्वता के रूप में नहीं माना जाएगा।

15. उपरोक्त निर्देशों के अनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। खर्च के बाबत कोई आदेश नहीं।

एस.के.एस.

याचिका का निपटारा

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुनिल गोस्वामी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।